हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 25 मार्च, 2015 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री — प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम " सभा की बैठकें " के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

III. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री — प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

IV. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज–पत्र

1. **एक मंत्री** — बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) तथा 105 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012-2013 के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे ।

2. **एक मंत्री** — राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए हरियाणा वित्त निगम की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित 47वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।

3. **एक मंत्री** — कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012-2013 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटिड की 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

4. **वित्त मंत्री** — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आई के खण्ड 4 तथा 243-वाई के खण्ड 2 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्तायोग, हरियाणा (जून, 2014) की रिपोर्ट तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन मेज पर रखेंगे।

5. **वित्त मंत्री** — भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों पर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

6. **वित्त मंत्री** — भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की वर्ष 2011-2012 तथा 2012-2013 के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों पर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

7. **वित्त मंत्री** — भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र) पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

8. **वित्त मंत्री** — भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

V. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना

1. **अधीनस्थ विधान समिति के चेयरपर्सन**	वर्ष 2014-2015 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 43वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
2. **लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन**	31 मार्च, 2010 (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियां) को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2014-2015 के लिए लोक लेखा समिति की 71वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
3. **सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति के चेयरपर्सन**	वर्ष 2014-2015 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
4. **जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन**	वर्ष 2014-2015 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

VI. विधान कार्य

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2015.	**एक मंत्री**	हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2015.	**एक मंत्री**	हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3. भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2015.	**एक मंत्री**	भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4. हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2015.	**एक मंत्री**	हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे;
	श्री कर्ण सिंह दलाल,एम.एल.ए.	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश स० 9) का यह संकल्प निरसन के विरुद्ध है ।
	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़
24 मार्च, 2015

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव ।